विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-24 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
24 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ग्राम व पोस्ट बडगहन, तहसील- मार्टिनगंज के निवासियों की भूमि आराजी सं0 292 रकबा 0.038 हे0 आराजी सं0 291 की गलत तरीके से पैमाइश कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31 मई, 2023 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र में मुख्य वर्णित बिन्दु क्या थे?	ग्राम व पो0 बडगहन, तहसील मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित आराजी सं0-292 रकबा 0.038हे0 एवं आराजी सं0-291 की एस0डी0एम0, तहसीलदार, लेखपाल व कानूनगो द्वारा धनादोहन करके गलत तरीके से पैमाइश कराकर विपक्षी भू-माफिया श्री दिनेश कुमार यादव पुत्र श्री बनारसी यादव को जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कराकर निर्माण कार्य कराया गया है जबकि उक्त प्रकरण दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश भी है। प्रकरण में गलत तरीके से की गयी पैमाइश के कारण उक्त आराजी का पुनः भू-चित्र के अनुसार सीमांकन/पैमाइश कराकर अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराने एवं भू-माफिया तथा संलिप्त एस0डी0एम0, तहसीलदार व लेखपाल के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण में जांच समिति गठित कर गुण-दोष के आधार पर प्रार्थिनी को कब्जा दिलाये जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने का उल्लेख किया गया है।
(ग) क्या कराये गये अवैध कब्जे से उक्त भूमि को मुक्त करा दिया गया है?	ग्राम बडगहन, तहसील मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ स्थित गाटा सं0 292/0.0380हे0 तथा गाटा सं0 291/0.206हे0 का सीमांकन पूर्व में दिनांक 21.05.2023 को प्रार्थिनी श्रीमती नीतू सिंह पत्नी स्व0 पारसनाथ सिंह के पुत्र शिवम् सिंह की उपस्थिति में

किया गया था, गाटा सं0 292 का क्षेत्रफल 0.038हे0 मौके पर पूर्ण पाया गया।

उक्त आराजी का पुनः अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.07.2023 को प्रार्थिनी श्रीमती नीतू सिंह पत्नी स्व0 पारसनाथ सिंह को पूर्व सूचना के क्रम में उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष किया गया। पूर्व सूचना के बावजूद प्रार्थिनी मौके पर उपस्थित नहीं हुई। अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि गाटा सं0-291/0.206हे0 राजस्व अभिलेखों में बंजर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटे के कुल 0.086हे0 क्षेत्रफल पर 07 व्यक्तियों को आवास आवंटन किया गया है, जो अपनी-अपनी भूमि पर आवास निर्माण कर काबिज-दाखिल है, शेष भाग मौके पर रिक्त है। गाटा सं0-292/0.038हे0 वर्तमान अभिलेख खतौनी में श्रीमती नीतू सिंह पत्नी स्व0 पारसनाथ सिंह नि0 ग्राम आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर उक्त गाटे की ग्रामवासियों के समक्ष पैमाइश करायी गयी जिसका कुल क्षे0 94 कड़ी, अर्थात 0.038हे0 है, जो कि खतौनी रकबे के अनुसार पूर्ण है।

प्रार्थिनी श्रीमती नीतू सिंह पत्नी स्व0 पारसनाथ सिंह द्वारा गाटा सं0-292 पर भू-नक्शे के अनुसार कब्जा दिलाये जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी को अवगत करा दिया गया है कि उनके द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अन्तर्गत वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) यदि हॉ, तो कब? उपर्युक्तानुसार।

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।